रजिस्ट्री सं. डी.एल.-[illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 788] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 13, 1992/अग्रहायण 22, 1914
No. 788] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 13 1992/AGRAHAYANA 22, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1992

का. आ. 910 (अ).— केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12 दिसम्बर 1992 के प्रमुख गृह सचिव के पत्र सं 17629/जी एस/92 द्वारा प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिका-

रिता का विस्तार निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है; अर्थात् :—

(क) पुलिस स्टेशन राम जन्म भूमि, जनपद, फैजाबाद में दर्ज किए गए अपराध सं. 197/92 के मामले से संबंधित भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297, 153-क तथा दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध;

(ख) ऊपर वर्णित अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड़यंत्र तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया या किए गए कोई अन्य अपराध।

[सं. 228/66/92-ए वी डी-II]
ए. सी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1992

S.O. 910 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Govt., with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, vide Principal Secretary Home No. 17629/GS/92 dated 12th December, 1992, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of offences as hereunder :—

(a) Offences punishable under Sections 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297, 153-A of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) and under Section 7 of Criminal Law Amendment Act, relating to case in Crime No. 197/92 registered in Police Station Ram Janam Bhoomi, Janpad, Faizabad;

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/66/92-AVD.II]
A.C. SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992